स्पीड पोस्ट/अतिआवश्यक

फा.सं 15011/55/2014-एच.आर.।।।
भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
(मानव अधिकार प्रभाग)

चौथा तल, एन.डी.सी.सी.-।। भवन
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 11 जुलाई, 2014

सेवा में

श्री अभिजीत कुमार ठाकुर, उर्फ डब्लू ठाकुर,
चंडीहा ट्रैक्टर हाउस, बसंतपटटी चौक,
ग्राम-पोः बसंतपटटी, थाना- पुरनहिया,
जिला- शिवहर, (बिहार) पिन-843334

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दिनांक 05.03.2014

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषय पर इस मंत्रालय के आदेश संख्या ए.43020/65/2014-आर.टी.आई. दिनांक 20 जून 2014 का संदर्भ लें जिसकी प्रतिलिपि को आपके अपील दिनांक 05.03.2014 के साथ अद्योहस्ताक्षरी को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया गया है ।

2. आपके दिनांक 26.01.2014 का आर.टी.आई. आवेदन पत्र इस मंत्रालय के उप सचिव (एच. आर.) एवं के.लो.सू.अ. को दिनांक 5 मार्च 2014 को प्राप्त हुआ था जिसे उनके द्वारा समसंख्यक पत्र दिनांक 12 मार्च 2014 के तहत आपको सम्बोधित पत्र भेजते हुए आपके आवेदन की एक प्रतिलिपि को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया जा चूका है ।

3. आपके अपील को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अपीलेट अधिकारी को अंतरित करते हुए आपके अपील को एतदद्वारा निपटान किया जाता है ।

भवदीय,
रश्मि गोयल
(रश्मि गोयल)
संयुक्त सचिव(एच.आर.) एवं अपीलेट प्राधिकारी
दूरभाष- 011-23438056

प्रतिलिपिः

1. श्री जे0 एस0 कोचर, संयुक्त सचिव (पी.एण्ड ए.) व अपीलेट प्राधिकारी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लाक-सी, जी.पी.ओ.परिसर, आई.एन.ए.,नई दिल्ली-110023 को उपरोक्त अपील सहित सूचना प्रदान करने हेतु । **अनुलग्नकः उपरोक्त**

2. आई.टी.सेल, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को इस मंत्रालय के का.ज्ञा.सं. ए-43020/61/2013-आर.टी.आई.दिनांक 23 अप्रैल 2014 के संदर्भ में गृह मंत्रालय के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।

To be issued in Hindi

RTI MATTER/TIME BOUND

सूचना का अधिकार

No.A-43020/65/2014-RTI

Government of India/भारत सरकार

Ministry of Home Affairs/गृह मंत्रालय

New Delhi, Dated the 20th June, 2014.

ORDER

Sub: First Appeal preferred by Shri Abhijit Kumar Thakur under RTI Act, 2005-regarding.

Whereas Shri Abhijit Kumar Thakur vide his RTI application dated 26/01/2014(received in this Ministry on 07/02/2014) had sought information from the Ministry of Home Affairs regarding 'action taken on his petition dated 29/11/2013 against the Human Rights Violation by the State Police of Bihar'.

2. Whereas CPIO vide his letter No. 43020/01/2014-RTI dated 26/02/2014 had already advised the applicant to obtain information from the State Govt. as the matters relate them. It was also forwarded to the concerned CPIO of this Ministry to supply the information to applicant, if available.

3. Whereas Shri Abhijit Kumar Thakur vide his appeal dated 05/03/2014 (received in this Ministry on 11/03/2014) has stated that the CPIO had failed to supply the required information.

4. Whereas Shri Abhijit Kumar Thakur is informed that under the Right to Information Act, 2005, an applicant can seek that information from Public Authority which exists in the records and is held by/under the control of that public authority. As per DoPT OM No. 10/2/2008-IR dated 12/06/2008 "If a person makes an application to a public authority for some information which is the concern of a public authority under any State Government or the Union Territory Administration, the Central Public Information Officer (CPIO) of the public authority receiving the application should inform the applicant that the information may be had from the concerned State Government/UT Administration. Application, in such a case, need not be transferred to the State Government/UT Administration". Hence, the reply given by the CPIO is in order.

5. So far as petition of the appellant dated 29/11/2013 addressed to Hon'ble Home Minister is concerned, it is informed that as per computer records, there is no entry receipt of the said petition. However, a copy of RTI application and appeal is being sent to Joint Secretary(HR) for taking necessary action.

6. The Appeal of the appellant is accordingly disposed of.

25/6/14
(Satpal Chouhan)
Joint Secretary & Appellate Authority
Ph. No. 23093178

Shri Abhijit Kumar Thakur,
Urf Dablu Thakur,
Chandiha Tractor House,
Basantpatti Chowk,
Distt. Shivhar(Bihar)-843334.

Copy along with a copy of RTI application and appeal of Shri Abhijit Kumar Thakur to:

1. The Joint Secretary(HR), Ministry of Home Affairs, NDCC II Building, New Delhi for taking necessary action.

2. SO(IT Cell) for uploading of RTI application, appeal and reply under the concerned Appellate Authority with search facility based on key words in the MHA website under the heading RTI Act- Information under 4(1)(b) of the Act.

25/6/14
Joint Secretary & Appellate Authority

BOUND
-36-

3020/01/...

ई० डी० सं० दिनांक
(कार्यालय व्यवहार के लिये)

अपील का फॉर्म

गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली।

...से कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है / ~~चूँकि लोकसूचना पदाधिकारी~~ .... के निर्णय से
...हूँ, यह अपील आपके समक्ष दायर करता / ~~करती~~ हूँ। मेरे आवेदन का विवरण नीचे दिया जाता है :

(1) अपीलकर्ता का नाम : अभिजीत कुमार ठाकुर उर्फ डब्लू ठाकुर
(2) अपीलकर्ता का पता : चौंगिहा चैम्बर हाउस, पो०-बसंत पट्टी, जि०-शिवहर, बिहार-843334

(3) (क) लोकसूचना पदाधिकारी का नाम : गृह मंत्रालय, (लोकसूचना पदा०)
(ख) विभाग / कार्यालय का पता : गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(ग) निर्णय का विवरण जिसके विरुद्ध अपील दायर किया जाता है
निर्णय संख्या एवं तिथि : कोई निर्णय प्राप्त नहीं।

(4) प्रपत्र में आवेदन समर्पित करने कि तिथि : 29/11/2013

(5) सूचना का ब्यौरा
(1) सूचना जो मांगी गयी : मांगी गयी सूचना का आवेदन संलग्न
(2) अवधि जिसके लिये सूचना की मांग कि गई : 06/01/2014

(6) प्रपत्र में आवेदन समर्पित करने के तीस दिनों के अंदर कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ। हाँ

(7) अपील का कारण
(क) फॉर्म में आवेदन समर्पित करने के तीस दिनों के अंदर कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ। ✓
(ख) लोक सूचना पदाधिकारी के निर्णय दिनांक.......................................से क्षुब्ध।

(8) अपील का आधार / मामले से संबंधित तथ्य : माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली को संबोधित आवेदन speed post से भेजा गया था। जिसपर कार्रवाई संबंधित सूचना की मांग की गयी थी। जो नहीं दिया गया। इस प्रकार संबंधित लोकसूचना पदाधिकारी द्वारा नियम की अवहेलना की गयी।

(9) अपील दायर करने की अंतिम तिथि : 06/02/2014

(10) प्रार्थना / राहत जिसका अनुरोध किया गया : संबंधित सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विलंब से अपील के आवेदन को मंजूर करते हुये संबंधित सूचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

मैं घोषित करता / ~~करती~~ हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी एवं विश्वास है, दी गई सूचना एवं ब्यौरे सही है।

I.P.O - 15F 895158 (50रुपये)

आवेदक का नाम : अभिजीत कुमार ठाकुर उर्फ डब्लू

आवेदक का हस्ताक्षर
अभिजीत कुमार ठाकुर उर्फ डब्लू ठाकुर

आवेदक का पत्राचार का पूरा पता
अभिजीत कुमार ठाकुर उर्फ डब्लू ठाकुर
चौंगिहा चैम्बर हाउस, पो०- बसंतपट्टी
जि०- शिवहर, बिहार
843334

स्थान बसंतपट्टी चौक, शिवहर

दिनांक 05/03/2014

RELEASE ISSUE
SECTION

प्रपत्र 'क'

नियम 3 (1) देखें

सूचना प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रपत्र

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी
गृह मंत्रालय
भारत सरकार नई दिल्ली

आई० डी० सं० ....
(कार्यालय प्रयोग के लिये)

1. आवेदक का नाम : [illegible]

2. पूरा पता : [illegible]

3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में) :

माननीय गृहमंत्री, भारत सरकार को संबोधित आवेदन जो [illegible] थाना कांड संख्या 172/12 बिहार में पुलिस द्वारा असत्य रूप से आर्म्स एक्ट में फंसा के से संबंधित है। इसपर क्या-क्या कार्रवाई की गयी? कार्रवाई संबंधित सूचना देने की कृपा की जाए

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता / करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग / कार्यालय से संबंधित

5. मैंने फीस के रूप में दस रुपये का [illegible] इस आवेदन में लगा दिया है

स्थान : [illegible]

दिनांक : [illegible]

आवेदक का हस्ताक्षर

ई-मेल पता

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता

सेवा में ,

माननीय गृह मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली

विषय : शिवहर थाना (जिला :शिवहर, बिहार)कांड संख्याँ 172/12 में झूठे एवं असत्य रूप से पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट में फँसा देने कि स्थिति में त्वरित उच्च स्तरीय जाँच करवा देने कि कृपा करने के संदर्भ में |

महाशय ,

एक अरब से अधिक जनसंख्याँ वाले विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश में जहां अभी भी अधिकतर जनता अशिक्षित , भीरु, डरपोक एवं अजागरूक है वहाँ हजारों पुलिस जुल्म कि घटनाये रोज होती है |जिसमे से अधिकतर चीखे सलाखों के अंदर ही सिमट कर दम तोड़ देती है , कुछ चीखे कि मध्यम लौ सलाखों के बहार निकलकर धीरे धीरे न्याय के लिये छट-पटाती है लेकिन रास्ते में ही बूझ जाती है |उन्ही हजारों लौ में से एक लौ लग-भग एक सालो से न्याय के लिये संघर्ष करती हुई महाशय के कार्यालय में न्याय के लिये पहुंची है और बूझने कि कगार पड़ ही है | जबतक हमारे देश में कोई घटना मीडिया में नहीं आती है , तबतक उस पर कोई त्वरित कारवाई भी नहीं होती है |
महाशय के एक त्वरित कारवाई के आदेश से पीड़ित को न्याय मिल जाने कि उम्मीद है ,क्योंकि इसमें पुलिस अधीक्षक जैसे पदाधिकारी के फसले कि पूर्ण संभावना है |सभी साक्ष्य इस आवेदन में संलग्न है |
न्याय हित में त्वरित कारवाई के लिये प्रार्थना कर रहा हूँ |

विश्वास भाजन
अभिजीत कुमार ठाकुर उर्फ डब्लू
अभिजीत कुमार ठाकुर
उर्फ डब्लू ठाकुर
पिता - लक्ष्मीकांत ठाकुर
[illegible] चौक, पो० - [illegible]
जिला - शिवहर , बिहार

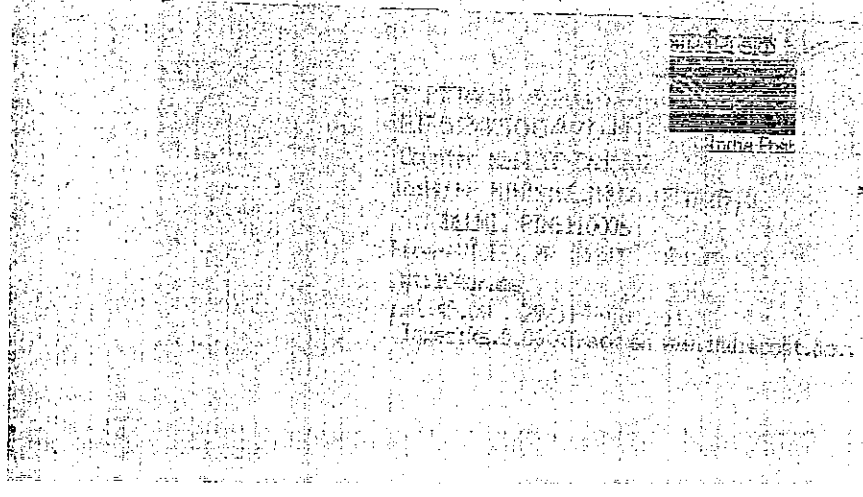

सेवा . . .

माननीय अध्यक्ष

माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

सन्दर्भ : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग Case No. 2858/04/35/2013/OC में शिवहर थाना कांड संख्याँ 172/12 में झूठे एवं असत्य रूप से आर्म्स के साथ फसाये जाने में श्री राजीव कुमार , थाना प्रभारी , पुरनहिया , श्री सरफराज़ अहमद P.S.I. incharge S.H.O शिवहर एवं तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नवीन चन्द्र झा कि भी संलिप्तता एवं पुलिस द्वारा इसे लिपा-पोती कर देने कि आशंका |

विषय : अपने स्तर से लगातार इसका Monitoring करने एवं लिपा-पोती कि अवस्था में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी या अपने द्वारा गठित जाँच एजेंसी से पुनः जाँच करवा देने कि कृपा करने के संदर्भ में |

महाशय ,

उपरोक्त सन्दर्भ एवं विषय में निवेदन पूर्वक कहना है कि मुनीश@पुट्टू कुमार सिंह , पिता : स्व० यतीन्द्र प्रसाद सिंह , पूर्व मुखियाँ , ग्राम & पोस्ट : बसंत जगजीवन , थाना : पुरनहिया , जिला :शिवहर , बिहार द्वारा दिए आवेदन में जितने भी आरोप पुलिस के विरुद्ध लगाये गये है वो पूर्णतः सत्य है |

इसमें स्थानीय थाना प्रभारी पुरनहिया , श्री राजीव कुमार , श्री सरफराज़ अहमद P.S.I. Incharge S.H.O शिवहर एवं तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शिवहर श्री नवीन कुमार झा कि संलिप्तता पूर्णतः स्पष्ट है जो कि उच्च स्तरीय जाँच से ही संभव है | क्योंकि एक I.P.S Officer दूसरे I.P.S. Officer के प्रति सहानभूति रखते है और सामान्यतः छोटे कनीय पदाधिकारी पर ही सभी गाज गिराते हुए बड़े पदाधिकारी को बचा लेते हैं | जैसा कि यह कहावत मशहूर है कि " हरेक बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ का शिकार कर लेती है " | जिसकी संभावना से इस कांड में इंकार नहीं किया जा सकता है |

शिवहर थाना कांड संख्याँ 172/12, दिनांक 08/10/12 धारा 25(1-बी०)ए०- 26/35 आर्म्स एक्ट पूर्णतः झूठा है |

<u>श्रीमान महाशय का ध्यान तब जाकर के द्वारा पुनः निम्न रूपेण वर्णित बिन्दुओं पर आकृष्ट करना चाहूँगा :-</u>

2. दिनांक 5.10.12 को राजीव कुमार, थाना प्रभारी पुरनहिया, जिला शिवहर द्वारा सादे लिबास में आरोपी चंदन ठाकुर को फातु वर्मा, पेट्रोल पम्प, सुरसंड रोड, सीतामढ़ी से गुप्त रूप से उठाया गया और उसे चार दिनों तक गुप्त रूप से शिवहर थाने में रखा गया और जबरदस्त शारीरिक यातना दी गयी।

गिरफ्तारी को गुप्त रखने के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिशानिर्देश के कोई भी बिंदु का पालन नहीं किया गया।

साक्ष्य के लिये (अनुलग्नकों) का अवलोकन करने कि कृपा की जाये

[illegible] थाना [illegible] इस्तर द्वारा गिरफ्तारी को भी श्री सरफराज अहमद
सुमंत सिंह थाना [illegible] दिनांक 9.10.2012 को रात्रि में उनके अपने
घर से [illegible] द्वारा [illegible] गिरफ्तारी को गुप्त रखने के
[illegible] परिवार से उठा लिया गया जिससे [illegible] 11 बिंदुओं में
लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के [illegible] श्री राजीव कुमार एवं
के निर्देशों का पालन नहीं किया गया और उसके [illegible] किया गया और [illegible] दिया गया की यदि
सरफराज द्वारा सुमंत से मिलने तक नहीं दिया गया और [illegible] उसको तीन दिनों
— ज्यादा इधर-उधर करोगे तो दूसरा बेटा का भी यही [illegible]
तक शिवहर थाने में रखा गया।
महाशय सुमंत सिंह के गिरफ्तारी के बारे में पर्याप्त साक्ष्य है। पूरे
गाँव और अगल बगल के सब लोग जानते हैं।

C. इन दोनों को आर्म्स के साथ पूर्णतः झूठी गिरफ्तारी शिवहर थाने में
हो रहे — रखे उसी पल्सर मोटरसाईकिल पर प्रदर्शित कर दी गयी जिसका जिक्र
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिनांक चार सितम्बर 2012 के पृष्ठ 5 पर
गोनाही गाँव, थाना पताही, जिला पूर्वी चंपारण से [illegible] के रूप में
दैनिकी समाचार पत्र के शीर्षक "संजय हत्या कांड में [illegible]"
: [illegible] में किया था।
साक्ष्य के लिये अनुलग्नक (A) का अवलोकन करने कि कृपा की जाये।

D. यह निठाई सिंह कि वही काले रंग कि पल्सर गाड़ी थी जिसे गोनाही गाँव से
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वयं बरामद किया गया था और शिवहर थाने में
[illegible] था। परन्तु सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने कि [illegible] से इसका
नंबर [illegible] रखा गया था।
साक्ष्य के लिये दैनिक जागरण दिनांक चार सितम्बर 2012 के पृष्ठ 5 के
"कांट्रेक्ट किलर ने कि थी संजय कि हत्या" शीर्षक का अवलोकन करने कि कृपा
की जाये। अनुलग्नक (B)

E. महाशय पुनः 10 अक्टूबर 2012 प्रभात खबर, [illegible] संस्करण के शीर्षक
[illegible] जिला [illegible] रेखांकित भागों का
अवलोकन करने कि कृपा की जाये। [illegible] उसी
निठाई सिंह के काले रंग की पल्सर बाईक [illegible] 5140 पर आर्म्स के साथ
पूर्णतः झूठी गिरफ्तारी प्रदर्शित की [illegible] पुलिस अधीक्षक महोदय
द्वारा पूर्व में ही [illegible] बाईक की पूर्व
गोनाही के साम्प्रदायिक [illegible]
बरामदगी को कानूनतः पुलिस द्वारा [illegible] रखा गया था।
साक्ष्य के लिये अनुलग्नक (C) का अवलोकन करने कि कृपा की जाये।

महाशय पुलिस द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ [illegible] बहुत आसान है क्योंकि नहीं
मालूम होती है। गोनाही गाँव के साम्प्रदायिक [illegible] पुलिस अधीक्षक महोदय
द्वारा निठाई सिंह नाम के व्यक्ति का [illegible] करना उसे शिवहर थाने
में एंट्री न करना पुनः उसी निठाई सिंह के नाम के व्यक्ति का पल्सर गाड़ी
आर्म्स के साथ प्रदर्शित करना शंका पैदा करता है या तो भिन्न भिन्न दो दो
नम्बरों वाली बाईक निठाई सिंह कि होनी चाहिए या जिस बाईक को गोनाही
से बरामद किया गया था उसी पर ही आर्म्स के साथ झूठी गिरफ्तारी प्रदर्शित
कर दी गयी।

F. महाशय इसी कांड शिवहर थाना कांड संख्या 172/12 में चंचल ठाकुर एवं
सुमंत सिंह के पूर्णतः थाने में रखे-रखे उनके गिरफ्तारी के मेमो ऑफ अरेस्ट
पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों का भी बयान लेने कि कृपा करें। उन लोगों पर
सरफराज द्वारा जबरदस्ती डरा कर हस्ताक्षर करा लिया गया। वो शिवहर के
स्थायी नहीं है वो लोग दूसरे जिला पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। जो भी
किसी काम से ही थाने में आये थे, वहाँ सरफराज द्वारा उनसे जबरदस्ती
हस्ताक्षर करा लिया गया।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित :

(1) माननीय मानवाधिकार आयोग, बिहार, पटना।

(2) माननीय प्रधान मंत्री, नई दिल्ली।

प्रधान सचिव, गृह विभाग, पटना।

पुलिस महानिदेशक, पटना।

पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसन्धान विभाग, पटना।

जोनल आई०जी०, मुजफ्फरपुर।

डी०आई०जी०, तिरहुत, मुजफ्फरपुर।

[illegible] मोतिहारी, बिहार।

[illegible]

विश्वास भाजन

[illegible]

Assistant Registrar(LAW)
Tel. No. 011-2338 5368
Fax No.: 011-2338 6521
Telegraphic Add.: "HUMANRIGHTS"
Home Page : http://nhrc.nic.in

Case No. 2858/4/35/2013/OC

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
(LAW DIVISION)
* * *
FARIDKOT HOUSE
COPERNICUS MARG, NEW DELHI-110001

Dated 24/08/2013

To

THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE
GOVT. OF BIHAR, PATNA

08 SEP 2013

Sub : Complaint from

MUNISH @ PUTTU KUMAR SINGH S/O LATE YATINDER
PRASAD SINGH
R/O VILLAGE AND POST. BASAIN JAGJIVAN, PS.
PURANHIA,
SHEOHAR, BIHAR.

Sir,

The complaint dated [illegible], was placed before the Commission on [illegible]. Upon perusing the complaint, the Commission directed as follows:

Transmit a copy of the complaint to the concerned authority calling for an action taken report within four weeks.

2. Accordingly, I am forwarding herewith a copy of the complaint for taking appropriate action in the matter as per the directions of the Commission. It is requested that an Action Taken Report be sent to the Commission within 4 weeks ~~from the date of receipt of this letter.~~

Yours faithfully,

ASSISTANT REGISTRAR (LAW)

Encls: As above

CC to: 2858/4/35/13

MUNISH @ PUTTU KUMAR SINGH S/O LATE YATINDER
PRASAD SINGH
R/O VILLAGE AND POST. BASAIN JAGJIVAN, PS. PURANHIA,
SHEOHAR, BIHAR.
(Pin Code - 843334)

ASSISTANT REGISTRAR(LAW)

(मु० श्री [illegible]) 2 sheets

न्यायालय में, [illegible] शिवहर

शिवहर

श्रीमान् की सेवा में प्रार्थी सौरभ कुमार उर्फ चंचल कुमार पिता- हेमचंद्र ठाकुर निवासी ग्राम-बसंत जगजीवन थाना-पुरनहिया जिला-शिवहर की ओर से आवेदन निम्नलिखित सादर प्रस्तुत है।

1. यह कि मुझे थानाध्यक्ष पुरनहिया थाना श्री राजीव कुमार एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी शिवहर के द्वारा दिनांक 5.10.2012 को सादे लिबास में कामधेनु पेट्रोल पंप सुरसण्ड रोड सीतामढ़ी से जबरन उठाकर लाया गया है।
2. यह कि मेरे द्वारा अधिवक्ता की मांग किया गया तब श्री राजीव कुमार के द्वारा मुझे यह बोला गया कि चुपचाप रहो नहीं तो एनकाउंटर कर दूंगा।
3. यह कि मुझे जबरन शिवहर थाना लाया गया एवं अनगिनत सादे कागजों पर हस्ताक्षर जबरन जान मारने का भय दिखाकर करवाया गया।
4. यह कि मुझे श्री राजीव कुमार थानाध्यक्ष पुरनहिया के द्वारा बार-बार जान मारने का भय दिखाकर अपने तथाकथित स्वीकारोक्ति बयान में गुड्डू कुमार उर्फ मुखिया पिता-स्व० गौरीशंकर प्रसाद सिंह निवासी ग्राम बसंत जगजीवन थाना-पुरनहिया जिला-शिवहर का नाम बताने के लिए दबाव डाला गया और यह भी भय दिखाया गया कि मैं जितने लोगों का नाम कहता हूँ वह नाम बताओ नहीं तो जान से मारेंगे।
5. यह कि मेरे द्वारा किसी भी व्यक्ति का नाम अपने तथाकथित स्वीकारोक्ति बयान में नहीं बताया गया है और न ही मैंने कोई तथाकथित स्वीकारोक्ति बयान दिया हूँ।
6. यह कि थानाध्यक्ष श्री राजीव कुमार के द्वारा एनकाउंटर का भय दिखाकर जितने सादे कागज पर हस्ताक्षर एवं निशान लिया गया है उसी को षड्यंत्र पूर्वक पुलिसिया ढंग से मेरा तथाकथित स्वीकारोक्ति बयान बनाया गया है जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि मुझे शिवहर थाना कांड संख्या-172/2012 में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तथा उसके कई दिन के बाद असत्य एवं आधारहीन तथाकथित स्वीकारोक्ति

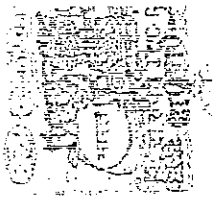

बयान के आधार पर मुझे शिवहर थाना कांड संख्या-130/2012 में उपस्थापन के लिए आवेदन दिया गया है

7. यह कि न्यायालय से जो अभिलेख [illegible] जब शिवहर थाना कांड संख्या-130/2012 के अभिलेख का अवलोकन किया गया तब मुझे यह ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारा [illegible] में पुष्पु कुमार उर्फ बुलेट पिता-स्व० [illegible] प्रसाद सिंह निवासी ग्राम-बसंत [illegible] थाना-पुरनहिया जिला-शिवहर का नाम संरक्षणदाता एवं अपराध करवाने वाले के रूप में बताया गया है एवं [illegible] में संलिप्तता भी बतायी गई जो असत्य एवं आधारहीन तथा आपराधिक षडयंत्र करके झूठ रचित किया गया है;

8. यह कि मुझे श्री सतीश कुमार थानाध्यक्ष पुरनहिया के द्वारा बार-बार जान मारने की धमकी दिया जा रहा है एवं सीतामढ़ी कारा से शिवहर न्यायालय में आने जाने के क्रम में कभी भी उनके द्वारा मेरी हत्या करके एनकाउंटर का रूप दिया जा सकता है;

9. यह कि थानाध्यक्ष श्री सतीश कुमार के धमकी से मैं अत्यधिक भयभीत हो गया हूँ तथा मानसिक वेदना के कारण मैं असाध्य रोग का रोगी हो गया हूँ जिसमें बेहतर चिकित्सा की आवश्यकता है लेकिन उसकी व्यवस्था भी पुलिस पदाधिकारी के भय से नहीं हो रहा है।

उपरोक्त परिस्थितियों एवं तथ्यों के आधार पर न्यायहित एवं प्रार्थी हित में यह आवेदन देना अति आवश्यक हुआ।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने की कृपा प्रदान की जाय। इस हेतु मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा

[illegible] हत्याकांड में नहीं [illegible] निर्दोष : एसपी

प्रतिनिधि ॥ शिवहर

पुलिस कप्तान नवीन कुमार झा ने कहा कि [illegible] संजय पांडेय हत्या कांड में किसी भी निर्दोष को नहीं फंसाया जायेगा और न ही दोषी को बख्शा जायेगा. एसपी ने कहा कि हत्या के संदर्भ में मृतक के परिजन पुलिस को अपेक्षित सहयोग नहीं कर सके. यही कारण है कि हत्यारे तक पहुंचने में पुलिस को विलंब हो रहा है. हालांकि, पुलिस हत्यारे तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है. एसपी ने बताया कि चंपारण के [illegible] गांव से गिरफ्तार किये गये दो व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है. जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, तब तक किसी को हत्यारा नहीं कहा जा सकता है. पुलिस सबूत जुटाने में लगी है.

श्री झा ने यह भी कहा कि [illegible] थाना क्षेत्र के [illegible] गांव में [illegible]

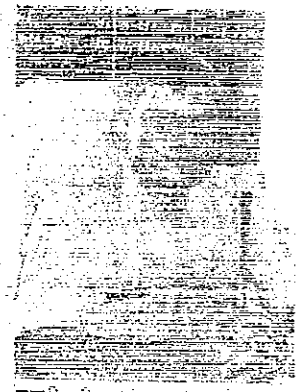

एसपी नवीन कुमार झा.

[illegible] की है. किसी प्रकरण में [illegible] होता नहीं इसकी जांच की जा रही है. एसपी ने कहा कि पुलिस [illegible] तक पहुंचने में सफल रहा है.

छात्रों से वसूला जा रहा निर्धारित से अधिक शुल्क

प्रतिनिधि ॥ [illegible]

> बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के निर्देशानुसार उस्तानिया, फोकानिया व मौलवी परीक्षा 2013 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि व शुल्क निर्धारित

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के निर्देशानुसार उस्तानिया, फोकानिया व मौलवी परीक्षा 2013 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि व शुल्क निर्धारित कर दी गयी है. बताया गया है कि आगामी तीन अक्तूबर तक परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्रों से कोई अतिरिक्त शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा. वहीं, 3 से 15 अक्तूबर तक फॉर्म जमा करने वाले छात्रों से सौ रुपये विलंब शुल्क वसूल किये जाने का प्रावधान है. उस्तानिया के लिए पंजीयन शुल्क 270 रुपये व फोकानिया के लिए 80 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं, फोकानिया परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क 340 रुपये व मौलवी की परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क 440 रुपये निर्धारित की गयी है. बावजूद इसके छात्रों से अधिक राशि की वसूली की जा रही है. छात्रों की शिकायत है कि मौलवी पंजीयन व परीक्षा शुल्क 950 रुपये, फोकानिया पंजीयन व परीक्षा शुल्क 850 रुपये व उस्तानिया पंजीयन व परीक्षा शुल्क 650 रुपये वसूल की जा रही है. इस बाबत मदरसा रहमानिया के प्राचार्य मौलवी [illegible] से पूछे जाने पर बताया कि अब तक मदरसा को [illegible] उपलब्ध नहीं कराया गया है. मदरसा द्वारा [illegible] पर विशेष जानकारी [illegible] कर पैसा जमा कराया जा रहा है. शुल्क कितना लेना है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है. बताया कि वे अपनी मर्जी से पंजीयन व परीक्षा शुल्क ले रहे हैं.

[illegible] ने किया [illegible] का दौरा

[illegible] व स्वयं सहायता समूह के संबंध पदाधिकारियों की बैठक हुई. मौके पर स्वयं सहायता समूह का डाटा बेस तैयार करने का निर्देश दिया गया. निदेशक ने बताया कि पूर्व की योजना जो एसजीएसवाइ थी, फिलहाल एनआरएलएम के रूप में संचालित है. इसका डाटा बेस जीविका संगठन के माध्यम से तैयार किया जाना है. वहीं, उक्त योजनाओं की औपचारिक जांच भी होगी. मौके पर [illegible] प्रभारी भी मौजूद थे.

उपवास करें, प्रदर्शन नहीं

शिवहर ॥ बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष [illegible] कुमार तिवारी ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि 5 सितंबर को [illegible] शिक्षक उपवास पर रहेंगे. इस दौरान प्रदर्शन करने संबंधी कोई कार्यक्रम नहीं है. इस आंदोलन का [illegible] सरकार को संकेत देना है कि [illegible] लागू किया जा रहा है. वह इतना [illegible] शिक्षकों को [illegible] का इलाज करता [illegible] है.

उद्घाटन

सीतामढ़ी ॥ [illegible]

पर्यटन मंत्री ने की कार्यों की समीक्षा

प्रतिनिधि ॥ [illegible]

सोमवार को सूबे के पर्यटन मंत्री सह स्थानीय [illegible] सुनील कुमार पिंटू ने विभाग [illegible] क्रियान्वित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास [illegible] के तहत [illegible] योजनाओं में से 19 योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी, इन योजनाओं पर दो करोड़ की राशि खर्च किया जाना है. ग्रामीण कार्य विभाग के [illegible] सेतु निर्माण के 15 से अधिक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी. इसमें [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] गांव में सेतु निर्माण एवं [illegible] से [illegible], [illegible] से [illegible] के बीच [illegible] सेतु निर्माण के कार्य में मंत्री ने तेजी लाने का निर्देश दिया. कार्यपालक अभियंता ने बताया कि नवंबर 12 तक अधिकांश योजनाओं को पूरा कर लिया जायेगा. पर्यटन विभाग के [illegible] में [illegible] व [illegible] विवाह मंडप निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी देते हुए उक्त योजनाओं पर 1 करोड़ 8 लाख रुपये व्यय आकलित है. [illegible] के कार्यपालक अभियंता को [illegible] पार्क में [illegible] विद्युत व्यवस्था के लिए [illegible] का आदेश दिया. जिला [illegible] [illegible]

बैठक में शामिल सरपंच

फोटो [illegible]

प्रतिनिधि ॥ [illegible]

प्रखंड के शिव मंदिर परिसर में प्रखंड सरपंच संघ की बैठक अध्यक्ष [illegible] की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष मुरारी [illegible] मिश्र मौजूद थे. मौके पर श्री मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में सरपंचों की सहभागिता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए. साथ ही प्रखंड स्तरीय बैठकों में भी सरपंचों की सहभागिता की वकालत की. बैठक में [illegible] अनुदान, [illegible] समिति, [illegible] [illegible]

शिव मंदिर परिसर में हुई प्रखंड सरपंच संघ की बैठक, हुए कई निर्णय

योजनाओं पर हुई चर्चा

कचहरी की बैठक में पदाधिकारियों को शामिल किये जाने, पुलिस द्वारा ग्राम कचहरी के मामलों में सहयोग करने आदि [illegible] मांग [illegible] को सौंपी गयी. मौके पर [illegible], [illegible] राम, [illegible] गुप्ता, [illegible] खातून, [illegible] खातून, [illegible] उर्फ [illegible], [illegible] आदि [illegible]

कांट्रैक्ट किलर ने

■ टूट रही जाति-मजहब की दीवार, तो कुछ का फट रहा कलेजा

लाखों को रोजगार

प्रभात खबर टोली ■ गया/नवादा

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जन-जन की मांग है. विशेष दर्जा मिलने से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया व नवादा में अधिकार सम्मेलनों को संबोधित करते हुए उक्त बातें कहीं. गया के गांधी मैदान में उन्होंने कहा कि राज्य के 10.5 करोड़ लोगों की भावना की कद्र किये बिना केंद्र में किसी की सरकार नहीं चल सकती. हमारी इस मांग से पटना में बैठे कुछ लोगों का कलेजा फट रहा है. सोच रहे हैं, लोग बंट जायेंगे. जाति-मजहब की दीवार नहीं रहेगी, तो राजनीति कैसे चलेगी?

है दम, लेकर रहेंगे अधिकार

हममें इतना दम है कि हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे. चार नवंबर को पटना के गांधी मैदान में जुट कर अपनी ताकत का प्रदर्शन करें... अब भी केंद्र नहीं माना, तो हम दिल्ली के रामलीला मैदान को पाट देंगे. हर स्तर पर राज्य का ... राष्ट्रीय औसत से पीछे है. प्रदेश को राष्ट्रीय औसत तक ले जाने में 25 साल लगेंगे. मुख्यमंत्री ने पूछा, क्या आप इतने सालों तक इंतजार कर सकेंगे. जनता से आवाज आयी - नहीं. उन्होंने ... कहा, बिहार के लोग जग गये हैं. केंद्र सरकार की योजनाओं में हमें राज्यांश देना होता है. राज्य का खजाना खाली हो गया है. विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद मात्र 10 फीसदी ही राज्यांश देना होगा. बाकी पैसे से सूबे का विकास होगा. कल-कारखाने खुलेंगे, लोगों को नौकरी मिलेगी.

शेष पेज 13 पर

गया के गांधी मैदान में कार्यकर्ता रैली के दौरान ... मुख्यमंत्री ... साथ हैं मंत्री जीतन राम मांझी, विधायक ... [illegible]

विशेष राज्य का दर्जा मिला, तो ...

अधिकार सम्मेलन में ... उन्होंने कहा कि ... [illegible]

भरोसे-विश्वास के दो साल

[illegible]

सौरभ ने मारी थी लोजपा ...

11 हजार करोड़ रुपये के ...

देश-विदेश

समय से पहले आम चुनाव: ... [illegible]

पीएम का एलान ■ पांच वर्षों में सभी परिवारों को सस्ती बिजली

-48-

4/2

[illegible] को...

[illegible]मंत्री ने कहा बिहार कृषि प्रधान राज्य है, 89 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं. 76 प्रतिशत लोग अब भी खेती पर निर्भर हैं, [illegible] कृषि रोड मैप बनाया गया है. 250 की आबादीवाले [illegible] सड़कों से जोड़े जायेंगे. [illegible]

[illegible]

[illegible] डॉ अनिल कुमार, डॉ [illegible], [illegible] कुमार सिंह, डॉ [illegible] प्रसाद, [illegible] कुमार [illegible] उपस्थित थे. [illegible]

[illegible]

[illegible] मुख्यालय से संबंधित मांगों पर विचार [illegible] (मुख्यालय) व [illegible] [illegible]

[illegible] के पानी...

[illegible]

बताया कि सौरभ उर्फ चंचल कांट्रैक्ट किलर है. इसी ने संजय पांडेय को गोली मारी थी. वहीं, दूसरा किलर पताही थाना क्षेत्र के [illegible] निवासी [illegible] सिंह अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है. उन्होंने बताया कि सुमन भी हत्या के षड्यंत्र में शामिल था. उन्होंने बताया कि दोनों एक बाइक पर सवार थे. बीआर06ए-5140 नंबर की उक्त बाइक को जब्त कर लिया गया है. बताया गया है कि हत्या में इसका प्रयोग किया गया था. [illegible]

[illegible] अनुसंधान किया जा रहा है.

11 हजार करोड़...

[illegible]

[illegible] सिर्फ कुछ हजार परिवारों के पास ही बिजली [illegible]

ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी [illegible] प्रतिशत डॉ सिंह ने कहा [illegible] 55 [illegible] करने के लिए सरकारी के साथ-साथ उद्योग को भी साथ मिल [illegible] करने की आवश्यकता है.

[illegible] का [illegible]...

गया है. [illegible] ने कहा, 'इसके महत्वपूर्ण सिद्धांतों के जरिये [illegible] सदी में [illegible] तरह बदलेगी जैसा पिछली सदी में क्लासिकल कंप्यूटर ने किया था.' नोबेल पुरस्कार से [illegible]

[illegible]

[illegible]

नया गैस लेना भी [illegible]

[illegible] (आइओसी) [illegible] गैस कनेक्शन में प्रति सिलिंडर (14.2 किलो) 200 रुपये की वृद्धि कर दी है. इससे अब नया गैस कनेक्शन लेना महंगा हो जायेगा. पहले नये गैस कनेक्शन पर प्रति सिलिंडर [illegible]

अपहर्ता के चंगुल से [illegible]

[illegible] (बेतिया)

[illegible] थाना क्षेत्र के [illegible] गांव के [illegible] शिक्षक कृष्णकांत सिंह अपहर्ता के चंगुल से भाग कर जान बचाने में सफल रहे. [illegible] पत्नी [illegible] देवी ने अपहरण की आशंका जताते हुए गांव के ही [illegible] सिंह, [illegible] सिंह [illegible]

[illegible]

संजय पाण्डेय की पहचान करवाता। एक हथियार 7.62 एम-एम-
को हम पहले ही भुवन शाह को दिये हुए थे जो भुवन लेकर
कि इसको हत्या में प्रयोग करेंगे। फिर तीनों दिन बाद हम और
भुवन ठाकुर गब्बू सिंह के यहाँ गए जहाँ हमारे ग्रुप के
सभी लोग इकट्ठे हुए थे जहाँ बब्लू के घर के बाहर के गैरेज के
में एक सपाट पर बैठकर हमलोग यह तय किए कि बब्लू, पंकज,
कुमार और मिठ्ठूलाल को [illegible] दिन शिकार से रेकी संजय
पाण्डेय को पहचान करना होगा और उसकी गतिविधि की
निगरानी करना होगा। इसपर बब्लू ने तय किया कि शिकार के
[illegible] गांव से पंकज, सोना के पास रहेंगे। तब हम बोले कि
ठीक है - चूंकि शिकार बार-बार आए-गए हैं इसलिए हम शिकार के
नहीं रहकर घर से ही आना-जाना करेंगे। इसके दो दिन बाद
कुमार सिंह, संदेश जी, मिठ्ठूलाल, बब्लू [illegible], आ गए और
वहीं एक सप्ताह तक रहकर हमारे और भुवन को साथ ले
संजय पाण्डेय को पहचाने। संजय पाण्डेय की निगरानी से पता
चला कि वह [illegible] के रास्ते अपने घर जाने के लिए [illegible]
को पार करता है। [illegible] पुल की निगरानी करने पर पता चला कि
[illegible] के रास्ते बस स्टैण्ड पर गाड़ियों का आना-जाना [illegible]
जाता है और [illegible] पुल के आगे बाईं तरफ एक मोड़ है जिधर
संजय पाण्डेय का घर है। इसके बाद बैठक में यह योजना बनाई
[illegible] में बनी कि एक ग्रुप जिसमें भुवन शाह, पंकज, बब्लू
शामिल रहेंगे [illegible] के पास बाईक लिए रहेगा जबकि कुमार
सिंह, संदेश जी और मिठ्ठूलाल दूसरे ग्रुप में बाईक लिए [illegible]
पुल के आगे बाईं तरफ के मोड़ पर रहेगा और हम पीछे साईकिल
पर रहकर संजय पाण्डेय की गतिविधि की निगरानी करेंगे। चूंकि
भुवन को मोटरसाइकिल के पहचान लिए जाने का खतरा था
इसलिए यह तय हुआ कि भुवन मिठ्ठूलाल की काली पल्सर
गाड़ी जिसका नंबर- BR06 AA/5140 है को चलाएगा जिसपर
पंकज बैठेगा और बब्लू पीछे बैठेगा। बब्लू के [illegible]
मोटरसाइकिल पर कुमार सिंह, मिठ्ठूलाल और संदेश
जी के बैठने का तय हुआ। हमारे [illegible] [illegible]
से [illegible] साईकिल पर रहकर संजय पाण्डेय की गतिविधि की
निगरानी करना था और संजय पाण्डेय के आगे साईकिल से आगे
बढ़ते ही उसकी तरफ इशारा कर अपने [illegible] ग्रुप को
संकेत करना था। इसके बाद घटना के दिन दिनांक 08/08/12
को संध्या लगभग पौने सात बजे हमलोग योजना के
मुताबिक अपने-अपने जगह पर सभी लोग अपने-अपने पास

उनको पूरब की तरफ भगा गया। इसके बाद मुकेश साह के मोटर साइकिल पर हम दोनों को बैठाकर आगे की तरफ भागा और अगले मोड़ पर खड़े दूसरे ग्रुप को साथ आने का इशारा करते हुए हमलोग सभी पुनौरा, सीतामढ़ी चिराई के चले गये जहाँ रात भर रूकने के बाद सब लोग इधर-उधर हो गए। घटना के बाद चूँकि हमलोग को तो बीस-बीस हजार रूपया देने की बात मनटू ने तय की थी पर नहीं मिला था इसलिए हम उसका पता लगा रहे थे कि मनटू कहाँ है। इसी बीच गोपनीय गाँव से इसके आर होने की सूचना पर हम और मुन्नी सिराई वाला की पकड़ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि पुलिस से पकड़ा गए।

यही हमारा स्वीकारोक्ति बयान है।

चंदन कुमार उर्फ सौरभ कुमार

8.10.12

R.O. & A.C.

Mahtab Ahmad

8/10/2012

P.S.I., Incharge O/C,

Sheohar P.S.

Distt - Sheohar

S No. 2 (I) 17

स्पीड पोस्ट/अतिआवश्यक

फा.सं 15011/55/2014-एच.आर.।।।
भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
(मानव अधिकार प्रभाग)

चौथा तल, एन.डी.सी.सी.-।। भवन
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 11 मार्च, 2014

ISSUED
12 MAR 2014

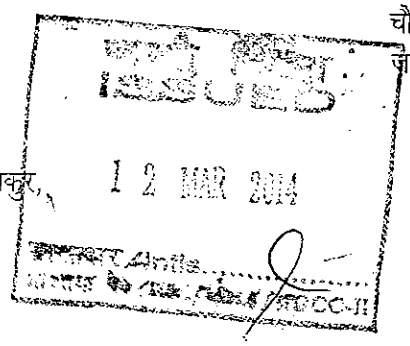

12 MAR 2014

सेवा में

श्री अभिजीत कुमार ठाकुर, उर्फ डब्लू ठाकुर,
चंडीहा ट्रैक्टर हाउस, बसंतपटटी चौक,
ग्राम-पोः बसंतपटटी, थाना- पुरनहिया,
जिला- शिवहर, पिन-843334
बिहार

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने आवेदन

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषय पर इस मंत्रालय के पत्र संख्या ए.43020201/2014-आर.टी.आई. दिनांक 26 फरवरी 2014 का संदर्भ लें जिसके तहत आपका उपरोक्त विषयक आवेदन दिनांक 26 जनवरी 2014 को, सूचना उपलब्ध कराने हेतु अद्योहस्ताक्षरी को दिनांक 5 मार्च 2014 को प्राप्त हुआ है ।

2. उपरोक्त के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं । अतः इस मामले पर राज्य सरकार के संबंधित लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क करें ।

3. आपका उपरोक्त आवेदन पत्र जॉच से सम्बन्धित है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यक्षेत्र में है, इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत आपका उपरोक्त आवेदन पत्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लोक सूचना अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई करने और आपको सूचना प्रदान करने के लिए प्रेषित किया जा रहा है ।

4. यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो, आप अपना अपील इस पत्र के प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर, अपीलेट प्राधिकारी - श्रीमति रश्मि गोयल, संयुक्त सचिव (मानव अधिकार), गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.-।। भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001 को भेज सकते हैं ।

भवदीय,

(विजय सिंह राणा)
उप सचिव(एच.आर.) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष/फैक्स- 011-23438110

प्रतिलिपिः

1. श्री जैमिनि कुमार श्रीवास्तव, लोक सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लाक-सी, जी.पी.ओ.परिसर, आई.एन.ए.,नई दिल्ली-110023 को उपरोक्त आवेदन सहित सूचना प्रदान करने हेतु । अनुलग्नकः उपरोक्त
2. श्री वी0 के0 राजन, उप सचिव(ई0) व के.लो.सू.अ., गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ ।
3. उप सचिव(एच.आर.) के निजी सचिव